

## FIRE SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated:

Certified that the BANSAL PUBLIC SCHOOL (name of the building or premises) at OPP. MEDICAL COLLEGE GANESH NAGAR, KOTA (address) comprised of 0 basement(s) and GROUND + 3 (upper floors) owned/ occupied by BANSAL PUBLIC SCHOOL (name of the institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/ UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 29-02-2024 (date of inspection) in the presence of SAVITA RUPATHI (PRINCIPAL) (name and addresses of the Manager/ Secretary or his representative) and that the building/ premises is fit for occupancy upto classes XII ( X/ XII) With effect from 05-03-2024 for a period of ONE year in accordance with rule and subject to compliance of specific conditions as appended:-

1. ALL THE FIRE FIGHTING EQUIPMENT SHOULD BE KEPT IN PROPER CONDITIONS.
- 2.
- 3.
- 4.

Issued on 05-03-2024 (date of issue) at KOTA (R.A.S.) (place) by

\*Strike out whichever is not applicable.



To

BANSAL PUBLIC SCHOOL  
GANESH NAGAR, KOTA  
(Name & Address of the Institution)

Signature with Seal:

Name

Designation

Name &amp; Address of Department/ Office:

राकेश व्यास  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम कोटा-उ/द  
RAKESH VYAS  
Chief fire officer  
Nagar Nigam Kota South  
(Perf.)

## ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled an annulled due to

(reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

\* The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.

# नगर निगम, कोटा दक्षिण

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

## अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/KOTA SOUTH/FIRENOC/2023-24/27006  
जारी दिनांक: 05-MAR-2024

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: SAVITA TRIPATHI  
आवेदक का पता: BANSAL PUBLIC SCHOOL, OPP. MEDICAL COLLEGE,  
GANESH NAGAR, KOTA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन BANSAL PUBLIC SCHOOL, 0, OPP. MEDICAL COLLEGE, GANESH NAGAR, KOTA SOUTH, KOTA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्तें:-

- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा।
- भवन में समस्त स्टाफ व सिक््योरिटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलवाया जाना आवश्यक होगा एवं वर्ष में तीन बार स्वयं के स्तर पर मॉकड्रील आयोजित की जानी होगी।
- स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरणों को सदैव कार्यशील अवस्था में रखने होंगे।
- भवन का मौका निरीक्षण के दौरान अग्निशमन अधिकारियों के द्वारा दिये गये आवश्यक दिशा निर्देशों की पालना की जानी होगी।
- यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किये जाते हैं तो आवेदनकर्ता/संचालक/व्यवस्थापक द्वारा मान्य होंगे।
- भवन का अग्निशमन विभाग के अधिकारियों द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व स्थापित अग्निशमन यंत्र/उपकरण कार्यशील अवस्था में नहीं पाए जाने पर उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र/अभिज्ञा पत्र निरस्त किये जाने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को स्वतंत्र रूप से होगा।
- स्थापित किये गये फायर सिस्टम को कार्यशील अवस्था में रखे जाने हेतु 24 घंटे प्रशिक्षित कर्मचारी/स्टाफ रखने होंगे तथा ए.एम.सी करवाई जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
- अग्निशमन वाहन की सुगमता से भवन तक पहुंच सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
- भवन के अन्दर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
- भवन में रोप लेडर व दो रस्से भवन की ऊंचाई जितना हर समय भवन में सुरक्षित स्थान पर रखा जाना अनिवार्य है एवं भवन में आपातकालीन सीढ़ियों/निकास द्वार अवरोध नहीं होनी चाहिये।
- यह अनापत्ति प्रमाण पत्र केवल अग्निशमन सुरक्षा की दृष्टि से ही भवन के लिए मान्य है।
- भूमि व भवन रहवासी संबंधित किसी भी प्रकार के वाद विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस आशयः में आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र भवन/परिसर में आवेदक द्वारा अग्निशमन के समस्त प्रावधान पूर्ण किये जाने के पश्चात् रूफटॉप रेस्टोरेन्ट संचालन हेतु मान्य होगा।
- आपातकालीन स्थिति में सूचना तुरन्त अग्निशमन विभाग तक पहुंचे इसके लिए स्वचालित आग चेतावनी (साईन बोर्ड/दूरभाष नम्बर) इत्यादि लगवाये जाने की व्यवस्था का प्रावधान करना अनिवार्य होगा।



Signed by: Jawahar Lal Jain  
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner  
Location: KOTA SOUTH, Rajasthan  
Date: 05/03/2024 16:19:22



अग्निशमन अधिकारी  
नगर निगम, कोटा दक्षिण